जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4556

दिनांक: 15/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **के.एस. शिक्षा महाविद्यालय, मौ. जिला– भिण्ड (09826356510)** को सत्र 2011–12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एड. पाठ्यक्रम** कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :–

(1) प्रो. अशोक शर्मा, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। **(संयोजक)** (0751–2442841)
(2) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
(3) डॉ. मुकेश कटारे, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें। **महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।**

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रू. 25,000/– जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्नगठन किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4759

दिनांक : 23/04/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार के.एस. महाविद्यालय, मौ. जिला- भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.ए. द्वितीय वर्ष -(आ.पा. समाजशा. सैन्य विज्ञान, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशा. अर्थशा., संस्कृत, इतिहास, भूगोल), बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष -(आ.पा. जन्तुविज्ञान, वनस्पति, रसायन, गणित, भौतिक,) बी.कॉम.-द्वितीय वर्ष, बी.एच.एस.-सी. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. बी.एस-सी. पाठ्यक्रम के लिये पाठ्यक्रमानुसार Chemical Glassware and उपकरण क्रय करें।
2. पुस्तकालय के पाठ्यक्रमानुसार रू. 5,000/- प्रति विषय पुस्तकें क्रय करें।
3. खेल मैदान विकसित करे। भवन एवं फर्नीचर को देखते हुये सत्र 2011-12 में बी.एस-सी. हेतु 350 सीट प्रदान की जा सकती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. महाविद्यालय, मौ. जिला- भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/4966

दिनांक:...01/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के.एस. कॉलेज, मौ, भिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। **(संयोजक)**
(0751-2442756)
(2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(3) डॉ. रंजना मिश्रा, व्याख्याता शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यो / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लेवें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के निर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

"निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा। "

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)